

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004  
=====

क्रमांक - एफ. 73-88/20-3/2004

भोपाल, दिनांक - 30-06-2005

प्रति,

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार

नई दिल्ली.

विषय :- अज्ञातकीय संस्था संत पॉल कान्वेंट स्कूल, जावरा जिला रतलाम  
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. से सम्बद्धता हेतु  
एन.ओ.सी. देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अज्ञातकीय संस्था संत पॉल कान्वेंट स्कूल जावरा जि.रतलाम  
को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति  
प्रमाण - पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परिीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।